मु.मंत्री भजनलाल शर्मा ने मदुरै-रामेश्वरम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मु.मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 36 हजार वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा करायेगी। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा एवं भोजन प्रबंधन के लिए 80 करोड़ का बजट तैयार किया है। सरकार करीब 6 हजार तीर्थ यात्रियों की हैलिकॉप्टर की जरिये काठमांडू (नेपाल) की यात्रा करवायेगी।

मुख्यमंत्री ने जयपुर से मदुरई-रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झण्डी दिखाई

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार इस वर्ष 36 हजार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी

जयपुर, 2 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। हमारे तीर्थ स्थल सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक हैं तथा हमारी संस्कृति में भी इनकी असाधारण महिमा बताई गई है। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर जाने से मन को शांति मिलती है तथा नई ऊर्जा एवं सकारात्मकता का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुरई व रामेश्वरम् के लिए निकली, इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह उत्कंठा एवं हार्दिक इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा कर आत्मिक सुख प्राप्त करे। मगर कुछ लोग आर्थिक अभाव और अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की तीर्थ यात्रा योजना से उन वर्गों को लाभ मिल रहा है जो आर्थिक अभाव में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।**

हमारे लिए यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार की "वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना" का सर्वाधिक लाभ समाज के ऐसे तबके को मिल रहा है।

शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36 हजार तीर्थ यात्रियों में से 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अयोध्या तथा 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जिनमें रेल द्वारा रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णो देवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृंदावन-बरसाना, सम्मेद शिखर-पावापुरी-बैद्यनाथ, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर (नासिक), गंगासागर (कोलकाता), कामाख्या (गुवाहाटी), हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या, मथुरा-अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च (तमिलनाडु) की यात्रा शामिल हैं। साथ ही, 6 हजार तीर्थ यात्रियों को काठमांडू (नेपाल) स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा भी हवाई जहाज से करवायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन तीर्थ यात्रियों के आवागमन, परिवहन, भोजन, आवास इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी, जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य बजट में प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों का विकास करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 600 मन्दिरों में त्यौहारों पर सजावट के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है।

जयपुर से मदुरई एवं रामेश्वरम् हेतु 7 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन में जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं कोटा जिले के लगभग 780 वरिष्ठजन यात्रा कर रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा में यात्रियों की देखरेख के लिए हर कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों की अनुदेशक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है।

साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए ट्रेन में एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं।

इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, बालमुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, देवस्थान विभाग की शासन सचिव शैली किशनानी, उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम विकास पुरवार सहित वरिष्ठ तीर्थयात्रीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

कृषि उपज भंडारण में करोड़ों के घोटाले में श्री शुभम लॉजिस्टिक के खिलाफ ए.सी.बी. की जांच शुरू

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री और ए.सी.बी. को पत्र लिखकर गहलोत सरकार में हुए इस घोटाले की जांच की मांग की थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 2 सितम्बर। राजस्थान राज्य भंडारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी के बीच अनुबंध की आड़ में करोड़ों रु. के घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने भी शुरू कर दी है। ज्ञात रहे कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ए.सी.बी. महानिदेशक को पत्र लिखकर इस घोटाले की शिकायत की थी। इसके बाद ए.सी.बी. महानिदेशक के आदेश पर गत 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करके इस प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर प्रथम को सौंप दी है।

गौरतलब है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा कल्पतरू समूह से जुड़ी श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी के साथ कृषि उपज को भंडारण निगम व प्राइवेट गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए किए गए अनुबंध के प्रकरण में करोड़ों रु. के घोटाले के आरोप लगाए थे।

मंत्री किरोड़ीलाल ने इससे पहले 16 मई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दी थी कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जून-2020 में भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण, गोदामों को पी.पी.पी. मोड पर देने और उनका प्रबंधन करने के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक और ऑरिगो कंपनी को टैंडर दिया था, लेकिन इन फर्मों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए गोदामों में रखी 3000 करोड़ की बाजार मूल्य वाली कृषि उपज का बीमा नहीं करवाया। इसके अलावा, तयशुदा बैंक गारंटी की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवायी। किरोड़ीलाल मीणा ने 21 जनवरी 2024 की सी.ए.जी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस घोटाले की जांच करवाने, टैंडर निरस्त करने और दोषी बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी।

- **ज्ञातव्य है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय, जून-2020 में भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण, गोदामों को पी.पी.पी. मोड़ पर देने और उनका प्रबंधन करने के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक और ऑरिगो कंपनी के साथ अनुबंध किया था।**
- **लेकिन इन फर्मों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए गोदामों में रखी 3000 करोड़ बाजार मूल्य वाली कृषि उपज का बीमा नहीं करवाया। इसके अलावा तयशुदा बैंक गारंटी की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवायी।**
- **डॉ. किरोड़ीलाल का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के राज में हुआ यह टैंडर शुरू से ही विवादों में था, क्योंकि इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार तय की गई थीं कि इन दोनों कंपनियों के अलावा कोई इस निविदा में भाग ही नहीं ले सके।**

डॉ. किरोड़ीलाल का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में हुआ यह टैंडर शुरू से ही विवादों में था, क्योंकि इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार तय की गई थीं कि इन दोनों कंपनियों के अलावा कोई इस निविदा में भाग ही नहीं ले सके।

हैरानी की बात यह थी कि इस टैंडर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी, जिस पर अदालत ने टैंडर पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तत्कालीन गहलोत सरकार व राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को टैंडर देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थाई रोक हटायी थी, इसी बीच विभाग ने कंपनियों के साथ अनुबंध कर लिया। आज भी इस प्रकरण पर अंतिम फैसला आना शेष है।

'हम सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की इस अवधि में भाजपा एन.डी.ए. के प्रधान पार्टनर की हैसियत से व्यवहार एवं कार्य करेगी।

लेकिन इस तथ्य का श्रेय नीतीश कुमार को जरूर जाता है कि

- **भाजपा की नीतीश कुमार से सदा यह शिकायत रही है कि उन्होंने बिहार में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को पनपने नहीं दिया, अतः भाजपा नीतीश कुमार की, बड़े भाई की छवि से मुक्त होना चाहती है।**

लम्बे समय तक भाजपा को स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं करने दिया।

लेकिन आगामील महीनों में जे.डी.यू. और भाजपा के बीच लुप-छिप कर वार करने वाले इस खेल में वृद्धि होने के आसार हैं।

पेरिस पैरालिंपिक में भारत ने सोमवार को एक स्वर्ण पदक, दो रजत सहित चार मैडल अपने नाम किये। पैरा बैंडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने स्वर्ण, थुलसिमथी मुरुगेसन ने रजत और मनीषा रामदास ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की टी47 ऊंची कूद स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया हैं। नितेश ने आज खेले गए पुरुष एकल एसएस3 श्रेणी के फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। नितेश ने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता हैं। इससे पहले महिला निशानेबाज अवनि लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था।

दूसरे स्वतंत्रता संग्राम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विवेकानंद की बड़ी-बड़ी तस्वीरें उठा रखी थीं और वही नारा लगा रहे थे- "हमें न्याय चाहिए।" बंगाल में इन पूजनीय नामों के आह्वान की एक स्पैशल अपील तथा पवित्रता है।

साथ ही साथ, विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए बंगाल में मैडिकल छात्रों ने सड़कों पर धरना दिया और लेडी डॉक्टर के रेप व हत्या के मामले में उनके आचरण के लिए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। छात्र लोग पुलिस की कई अनियमितताओं का हवाला दे रहे हैं, जिसमें, असली आरोपियों को छुपाना तथा सभी साक्ष्य मिटाना आदि शामिल है।

पुलिस ने पूर्व नियोजित तरीके से तुरत-फुरत शव का दाह संस्कार करवा दिया था, यहाँ तक कि, उस रात जो अन्य दाह संस्कार होने थे उनको पीछे छोड़कर महिला डॉक्टर का क्रिमेशन पहले करवाया था। डॉक्टर के माँ-बाप को भी शव के पास आने नहीं दिया तथा जल्दी से शव को उनके पास से ले गए।

यह बंगाल सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की ही गूंज है। ममता बनर्जी के नेतृत्त्व वाली प्रदेश सरकार ने आर.जी. कार अस्पताल में एक पी.जी. छात्रा महिला डॉक्टर के दुष्कर्म व हत्या के मामले, उचित जांच प्रक्रिया को रोकने की हरसंभव कोशिश की।

बंगाल में कई गीत है जिन्हें "स्वदेशी गान" कहते हैं, ये सभी देशभक्ति गीत है। इन्हें आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी गाते थे। इन गीतों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन को महसूस किया जा सकता है।

बंगाल इस समय दूसरे स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा है, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। सिविल सोसायटी के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं और आज़ादी के आंदोलन के दौरान गाए जाने वाले गीत गा रहे हैं। एक अन्य जानी-मानी गायिका श्रेया घोषाल ने कोलकाता में कार्यक्रम करने से मना कर दिया और कहा, यह "अमया" के लिए दुख मनाने का समय है, ऐसे में संगीत कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।

बड़े-बड़े कलाकार सड़कों पर उतर कर जांच में अडंगा लगाने के सरकार के प्रयासों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। उनका सवाल है कि सरकार इन अपराधियों को क्यों बचा रही है।

सी.बी.आई. ने आर.जी. कार मैडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया

संदीप घोष की यह गिरफ्तारी आर.जी. कार मैडिकल कॉलेज में हुये भ्रष्टाचार के मामले में की गई है

कोलकाता, 2 सितम्बर (वार्ता)। सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने आर.जी. कार कॉलेज व अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घोष की गिरफ्तारी डॉक्टर दुष्कर्म व हत्याकांड मामले को लेकर नहीं बल्कि आरजी कर मैडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। आखिरकार आर.जी. कार मैडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि 16 अगस्त से बीच में दो दिन छोड़कर 16 दिनों तक संदीप को सीबीआई की पूछताछ और दो बार पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करना पड़ा। सिर्फ पिछले शनिवार और रविवार को घोष से पूछताछ नहीं हुई थी।

घोष को सोमवार को फिर से सीबीआई की सीजीओ कॉप्लेक्स स्थित दफ्तर बुलाया गया था। शाम को सीबीआई अधिकारी संदीप को वहां से आर्थिक भ्रष्टाचार इकाई के अपने दफ्तर निजाम पैलेस ले आए। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जानकारी दी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि गत नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद विभिन्न हलकों में तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। सीबीआई ने उन्हें पहली बार 15 अगस्त को तलब किया था। उस दिन वह उपस्थित नहीं हुए।

सीबीआई की टीम ने 25 अगस्त की सुबह कोलकाता के बेलेघाटा स्थित संदीप के घर पर छापेमारी की थी। सीबीआई अधिकारियों को 75 मिनट तक बाहर इंतजार करने के बाद संदीप ने दरवाजा खोला था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

मु.मंत्री रेड्डी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बरतने की नसीहत देते हुए सोमवार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी और तीन अन्य की याचिका पर कांग्रेस नेता रेड्डी के अलावा अन्य आरोपियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। बीआरएस नेता और अन्य की याचिका में मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है और वह इस मामले में सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम ने मुख्यमंत्री के कुछ बयानों का उल्लेख किया तो पीठ ने कहा, जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर होता है, तो कुछ संयम की उम्मीद की जाती है।

सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को सावधान रहना चाहिए।

बाड़मेर में वायुसेना का फाइटर प्लेन क्रैश

बाड़मेर, 2 सितम्बर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में वायुसेना का -29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी दी। वहीं वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में पायलट खुद को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। हादसा वाली जगह पर किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है।

हादसे के बाद भारतीय वायु सेना की ओर से बयान जारी किया गया। वायुसेना ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा- बाड़मेर सेक्टर में एक नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान, एक मिग-29 में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को विमान से इजेक्ट करना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और जमीन पर जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीना ने बताया कि रात के वक्त बाड़मेर में मिग-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना आबादी वाले इलाके से दूर हुई। घटनास्थल पर भी अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। विमान में गंभीर तकनीकी खराबी के चलते हादसे की आशंका है। दुर्गम इलाका होने के कारण दमकल की गाड़ियां दुर्घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई हैं।

राहुल ने बुलडोज़र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योग्य है। बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनक़ाब हो चुका है।

आर.पी.एस.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान, एस.ओ.जी. ने आरोपी राईका को अदालत में पेश किया।

एस.ओ.जी. ने आरोपी से विस्तृत पूछताछ के लिए उसे नौ दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने की गुहार की। इस पर अदालत ने आरोपी को 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, अदालत कक्ष में एक वकील ने राईका को कहा कि उन्हें शर्म नहीं आती, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर राईका ने वकील को वहां से भागने और थप्पड़ मारने की बात कही। गौरतलब है कि एस.ओ.जी. ने पेपर लीक मामले में रामू राम राईका के अलावा एस.आई. बनी उसकी बेटी शोभा और बेटे देवेश को भी गिरफ्तार किया है।

श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाजार मूल्य वाली कृषि उपज का बीमा नहीं करवाने तथा तयशुदा बैंक गारंटी की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवाने समेत अन्य शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी राज्य भंडारण निगम और राज्य सरकार की ओर से अदालत में उचित जिरह नहीं की गई, जिससे कंपनी पर शिकंजा कसा जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी नहीं होने के कारण भंडारण निगम और राज्य सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि शर्तों के उल्लंघन के कारण श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी का रोका गया भुगतान का 25 प्रतिशत तुरंत जारी करेगी। इसके साथ ही 25 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद जारी कर देगी।

रिपोर्ट्स में विधि विभाग के रवैये को ढुलमुल माना गया है, क्योंकि मुख्य सचिव को आश्वासन देने के बावजूद भी विधि विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि करोड़ों रुपये के इस घोटाले का मात्र अनुबंध में शर्तों के उल्लंघन से जुड़े मामूली प्रकरण की तरह निस्तारण किया। रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अगस्त को विधि विभाग के जूनियर अफसरों ने इस मामले में बैकफुट पर आते हुए यहां तक कह दिया कि "विधि विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।"

उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में यह तथ्य भी लिखा गया है कि 1 अगस्त को अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भंडारण निगम को पत्र लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को तीन सप्ताह के भीतर बैंक गारंटी प्राप्त करके 50 प्रतिशत राशि सौंप दी जाये। गौर फरमाने योग्य है कि शुभम लॉजिस्टिक, भंडारण निगम के 92 गोदामों में से 71 को पी.पी.पी. मोड पर संचालित करता है, जिनमें 2790 करोड़ रुपये की कृषि उपज रखी हुई थी। इसी फर्म की दूसरी सहयोगी ऑरिगो कमोडिटीज़ स्वयं के 23 गोदामों का संचालन करती है, जिसमें 900 करोड़ रुपये की कृषि उपज का भंडारण किया गया था।

जैसा कि विदित है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने यह मामला उठाया था, ने इसमें एक अहम् बात यह भी कही थी कि 3 हजार करोड़ से ज्यादा बाजार मूल्य वाली कृषि उपज का बीमा भी ठीक ढंग से नहीं कराया गया था। मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में भी बताया गया है कि दिसंबर 2023 से मई 2024 तक ऑरिगो कंपनी द्वारा कृषि उपज का बीमा ही नहीं कराया गया था। वहीं, श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी ने भी 25 अप्रेल से 12 जून तक 2790 करोड़ रु. की कृषि उपज का कोई बीमा नहीं कराया था। वर्तमान में भी करोड़ों रुपये की कृषि उपज बिना किसी इंश्योरेंस के गोदामों में रखी हुई है। यह उपज कृषि विभाग की थी, जिसे खाद्य विभाग के जरिये आमजन में वितरित किया जाता है। अगर बारिश, आग, चोरी अथवा सड़ने से गोदामों में रखी उपज का कोई नुकसान होता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) प्रभावित होती। परन्तु यह जानते हुए भी विधि विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

लोक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभाग ने गत 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श कर निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए वकीलों की पैनल लिस्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं। इस सूची में प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन और अधिकतम पांच वकीलों को शामिल किया जाए। याचिका में बताया गया कि विभाग ने गत 26 जून को एक नया पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को आवेदन करने वाले वकीलों में से एक अतिरिक्त पैनल भेजने के निर्देश दिए। पत्र में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त पैनल में पूर्व में प्रस्तावित नामों से अलग अधिवक्ताओं के नाम होने चाहिए। याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त पैनल बनाने के पीछे मनचाहे वकीलों को लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति देना है। ऐसे में नई पैनल लिस्ट से लोक अभियोजक पद पर नियुक्तियों को रोका जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नई पैनल लिस्ट से नियुक्तियां देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सेबी चेयरमैन माधवी बुच के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खेड़ा ने कहा, "2021-23 के दौरान, वर्तमान सेबी-अध्यक्ष को आई.सी. आई. सी.आई. बैंक से 2.84 करोड़ रू. के ई.एस.ओ.पी. मिला था। यह आई.सी.आई.सी.आई. एम्प्लॉयीज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम, 2000 की धारा 10 का उल्लंघन है।"

उन्होंने आगे कहा, "सेबी अध्यक्ष को, 2017 में उनके सेबी में आने से लेकर आज तक, आई.सी.आई.सी.आई. से कुल 16.80 करोड़ रू. प्राप्त हुये हैं, यह चौंकाने वाली राशि है। यह राशि इसी अवधि में उन्हें सेबी से हुई आय की 5.09 गुना है। इस अवधि में, उन्हें सेबी से 3.30 करोड़ रू. ही प्राप्त हुये हैं।"

कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मामले में मोदी से भी अनेक प्रश्न पूछे हैं।

खेड़ा ने पूछा है, "नियामक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के सही एवं उचित मानक क्या हैं? क्या अपॉइन्टमेन्ट कमेटी ऑफ केबिनेट (ए.सी.सी.), जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, की जानकारी में ये स्तब्धकारी तथ्य हैं या क्या ए.सी.सी. प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति पूरी तरह आउटसोर्स्ड है? क्या प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि सेबी अध्यक्ष किसी अन्य लाभ के पद पर हैं तथा सेबी में काम करने की अवधि में आई.सी.आई.सी.आई. से वेतन/आय प्राप्त कर रही हैं? सेबी अध्यक्ष को कौन बचा रहा है और क्यों? प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिये तथा इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिये।"

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'एक्स' पर कहा, "नरेन्द्र मोदी जी, आपने अपने चहेते मित्रों की मदद करने के लिये भारत की पुरानी संस्थाओं की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को कुचलने के 10 साल पूरे प्रयास कर लिये हैं। यह चीज हमने सी.बी.आई., ई.डी., आर.बी.आई., सी.ई.सी. में नियुक्तियों के मामलों में देखी हैं, अब उसी चीज का सामना हम सेबी में कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आपने आवश्यक योग्यता के बिना ही सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति पहली बार सीधे एवं स्वैच्छिक प्रवेश द्वारा की। इससे सेबी की प्रतिष्ठा पर काला धब्बा लगा तथा इससे बाजार की इस नियामक संस्था की विश्वसनीयता कम हो गई। आखिर, सेबी कम तथा मध्यम आय वाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को संरक्षण प्रदान करती है।"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा, "हमारी माँग है कि सर्वोच्च न्यायालय इन नये रहस्योद्घाटनों का संज्ञान ले। सेबी अध्यक्ष तत्काल बर्खास्त की जायें। अडानी मेगा स्कैम की जाँच के लिये जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी (जे.पी.सी.) गठित की जाये। चूँकि सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति मोदी -(अमित) शाह के नेतृत्व वाली कमेटी ने की थी, इसलिये वे भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े इन नये रहस्योद्घाटनों से स्वयं को अलग नहीं रख सकते।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908